

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी, 1999 (माघ 29, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पुधकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री -

(1) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का वार्षिक लेखा वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, एवं

(2) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का इकीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री कमल पटेल, सदस्य, भिण्ड में स्थित नर्सिंग होम में धिक्किस्सक की तापरवाही से एक महिला की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र बिरधरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम श्रीपुरा में झोपड़ियां जलने की घटना के दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा बरती गई तापरवाही की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित
समय

4. वर्ष 1998-99 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि -

"दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88 एवं 89 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह सौ अठहत्तर करोड़, छियालीस लाख, तीन हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

1 घण्टा

5. शासकीय विधि विधेयक बमर्ष

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 (क्रमांक 3 सन् 1999) का पुरस्थापन * करेंगे.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 17 फरवरी, 1999

के.पी. सिवायी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.